तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोपाराम सिरवी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 42/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाराम सिरवी, पता तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.01.19 में उसके द्वारा (1) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बेरा खजूर वाली सरवण से बेरा चौधरियाट तक का कब्जा रास्ता कितने फुट चौड़ा व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 467 दिनांक 19.03.19 प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार कार्यालय बिलाड़ा से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बिलाड़ा को जरिये पत्रांक 224 दिनांक 16.01.19 के स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। अपील के संलग्न प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र की प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बिन्दु संख्या एक से संबंधित सूचना किस गांव से संबंधित है, स्पष्ट नहीं किया गया तथा बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना भी सृजनात्मक प्रकृति की है अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	